The Chhattisgarh Pension Fund Act, 2025

Act No. 27 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 733] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025 — भाद्र 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्र. 6241/डी. 136/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21—08—2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025.

विषय सूची

खण्ड	विवरण
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2	परिभाषाएं
3	निधि का गठन
4	निधि का उद्देश्य
5	निधि की अभिरक्षा
6	निधि में योगदान
7	निधि का प्रबंधन
8	निधि का उपयोग
9	निधि का निवेश
10	निगरानी और प्रतिवेदन
11	निधि का लेखा परीक्षण
12	नियम बनाने की शक्ति
13	व्यावृत्तियां

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025.

यतः, कि राज्य शासन यह मानती है कि पेंशन भुगतानों के प्रबंधन का महत्व है, ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके;

और यतः, यह आवश्यक है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु पेंशन भुगतानों के प्रबंधन, विनियमन और वित्त पोषण के लिए एक व्यापक संरचना स्थापित की जाए;

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य में पेंशन निधि के प्रबंधन एवं विनियमन, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025 कहलाएगा।
(2) इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इसके भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएँ.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–
(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, पेंशन निधि अधिनियम, 2025
(ख) **"बजट"** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित आय और व्ययों का विवरण हो;
(ग) **"संचित निधि"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि;
(घ) **"वित्त विभाग"** से अभिप्रेत है, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
(च) **"निधि प्रबंधक"** से अभिप्रेत है, शासन द्वारा नियुक्त कोई वित्तीय संस्था;

(छ) "पेंशनभोगी" से अभिप्रेत उस सेवानिवृत्त कर्मचारी से है, जो राज्य शासन से पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो;"

(ज) "पेंशन भुगतान" से अभिप्रेत है राज्य शासन की अपने पेंशनभोगियों के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व;

(झ) "पेंशन निधि" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वह निधि जिसका उद्देश्य पेंशन भुगतान का प्रबंधन है;

(ञ) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष;

3. राज्य शासन द्वारा अपने पेंशनभोगियों के प्रति भविष्य के उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु एक पेंशन निधि का गठन किया जाएगा । — निधि का गठन.

4. यह निधि भविष्य के पेंशन एवं अन्य निधि का सेवानिवृत दायित्वों के भुगतान हेतु प्रयुक्त की जाएगी। — निधि का उद्देश्य.

5. निधि की अभिरक्षा राज्यपाल की ओर से वित्त विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा। — निधि की अभिरक्षा.

6. (1) शासन को भविष्य के पेंशन भुगतानों हेतु निधि में राशि जमा करने के लिए सतत् प्रयास करना चाहिए। इसे सार्वजनिक लेखा के अंतर्गत एक पृथक निधि में रखा जाएगा। — निधि में योगदान.

(2) पिछले वर्ष के पेंशन भुगतानों का अधिकतम पाँच प्रतिशत (5%) प्रत्येक वर्ष पेंशन निधि में निवेश किया जाएगा;

परंतु संसाधनों की उपलब्धता तथा शासन की वित्तीय स्थिति के अध्यधीन रहते हुए, शासन आपवादिक परिस्थितियों में पेंशन निधि की उक्त सीमा से अधिक ऐसी राशि का अंतरण कर सकेगा जैसा की आवश्यक समझा जाए;

(3) पेंशन निधि के योगदान की कुल राशि का अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए शासन "2071 – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – 01 – सिविल – 797 – रिजर्व निधि एवं जमा खाते में अंतरण – पेंशन निधि" शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय में उपयुक्त बजट का प्रावधान करेगा।

7. (1) निधि, निधि प्रबंधक द्वारा प्रशासित एवं प्रबंधित की जाएगी। निधि प्रबंधक की नियुक्ति एवं निवेश हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत इस अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले अधिसूचित नियमों द्वारा शासित होगा। — निधि का प्रबंधन.

(2) निधि प्रबंधक, निधि के समुचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव करेगा।

निधि का उपयोग.

8. (1) निधि का उपयोग, राज्य शासन के पेंशन भुगतानों के लिये किया जाएगा।

(2) यदि किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन भुगतानों में वृद्धि विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 20% से अधिक होती है, तो अतिरिक्त 20% राशि को निधि से लिया जा सकता है। 20% तक की वृद्धि का वहन राज्य शासन संचित निधि से करेगी।

(3) यदि शासन आवश्यक समझे, तो विगत वर्ष तक निवेश पर अर्जित आय का अधिकतम 10%, एक वित्तीय वर्ष में पेंशन भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

निधि का निवेश.

9. (1) निधि की शेष राशि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों, विशेष प्रतिभूतियों, ट्रेज़री बिल्स, राज्य शासन की प्रतिभूतियों या अन्य अधिकृत प्रतिभूतियों में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में ऐसे निवेशों के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निवेश किया जाएगा।

(2) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, संग्रहण एवं शासन से प्राप्त निर्देशों पर आधारित ऊपर उल्लिखित पैटर्न के अनुसार खाते में जमा करने या पुनर्निवेशित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर निधि प्रबंधक उनके मोचन की व्यवस्था करेगा। समय से पूर्व विनिवेश की दशा में, भुगतान किये जाने वाले दावे को पूरा करने के लिए, यदि प्रतिभूतियों की बिक्री आवश्यक हो, तो निधि प्रबंधक यह विनिश्चित् करेगा कि कौन सी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाए और निधि प्रबंधक वर्तमान मूल्य पर प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा एवं प्राप्त राशि को शासन के खाते में जमा करेगा।

(4) यदि प्रतिभूतियाँ हानि में हों, तो निधि प्रबंधक शासन के परामर्श से, प्रतिभूतियों का परिसमापन सुनिश्चित करेगा।

निगरानी और प्रतिवेदन.

10. (1) निधि प्रबंधक, वार्षिक आधार पर राजस्व एवं पेंशन भुगतानों की वृद्धि पर निगरानी करेगा और निष्कर्षों का प्रतिवेदन शासन को देगा।

(2) यदि पेंशन भुगतानों में 20% से अधिक की कोई अतिरिक्त वृद्धि या राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि से अधिक पेंशन में

प्रतिशत वृद्धि का दस्तावेजीकरण किया जायेगा तथा निधि से अंतरित की जाने वाली राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) विभाग द्वारा एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसमें निधि की स्थिति, योगदान, निवेश, उपयोग और अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण होगा। यह प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

निधि का लेखा परीक्षण.

11. निधि के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण, राज्य के महालेखाकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा एवं सार्वजनिक किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति.

12. (1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, निधि से धन का जमा, आहरण तथा उससे संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

व्यावृत्तियाँ.

13. शासन, समय–समय पर इस योजना के प्रावधानों से संबंधित निर्देश जारी करेगा, जैसी कि वह योजना के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक समझे। यदि योजना के किसी प्रावधान के संचालन में कोई कठिनाई आती है, तो शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा है या नियमों में संशोधन कर सकेगा।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्र. 6241/डी. 136/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 27 of 2025)

THE CHHATTISGARH PENSION FUND ACT, 2025.

INDEX

SECTION

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of the Fund.
4. Objective of the Fund.
5. Custody of the Fund.
6. Contributions to the Fund.
7. Management of the Fund.
8. Utilization of the Fund.
9. Investment of the Fund.
10. Monitoring and Reporting.
11. Audit of the Fund.
12. Power to make rules.
13. Savings.

CHHATTISGARH ACT

(No. 27 of 2025)

THE CHHATTISGARH PENSION FUND ACT, 2025.

Whereas, the State Government recognizes the importance of managing pension payments to ensure the financial stability;

And whereas, it is expedient to establish a comprehensive framework for the management, regulation, and funding of pension payments to secure the future of retired employees;

Now therefore, a Act to provide for the management and regulation of pension payments in the State of Chhattisgarh, ensuring financial sustainability and for matters connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows: -

Short title, extent, and commencement.

1. (1) This Act may be called The Chhattisgarh Pension Fund Act, 2025.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates for different provisions may be appointed.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Pension Fund Act, 2025;

(b) **"Budget"** means the annual financial statement presented by the State Government detailing the estimated receipts and expenditures for the Financial Year;

(c) **"Consolidated Fund"** means the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh;

(d) **"Finance Department"** means the Finance Department of the Government of Chhattisgarh **"Fund Manager"** means a financial institution appointed by the Government;

(e) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(f) **"Pensioner"** means a retired employee of the State Government who is entitled to receive a pension;

(g) **"Pension Payments"** means the financial obligations of the Government towards its pensioners;

(h) **"Pension Fund"** means the fund established under this Act for the purpose of managing pension payments;

(i) **"Year"** means the Financial Year.

3. A Pension Fund shall be constituted by the Government for meeting future obligations towards its pensioners. **Constitution of the Fund.**

4. The fund shall be utilized for meeting the payment of future pensionary and other retirement obligations. **Objective of the Fund.**

5. The Fund shall be held on behalf of the Governor, by the Secretary to Government in the Finance Department. **Custody of the Fund.**

6. (1) The Government shall build up the Fund Corpus for the payment of future Pension payments. It will be kept in a separate fund under public account. **Contributions to the Fund.**

(2) An amount not exceeding five percent (5%) of the total pension payments made in the preceding

Financial Year shall be invested annually in the Pension Fund.

Provided that, subject to the availability of resources and the financial position of the Government, the State may, in exceptional circumstances, transfer an amount in excess of the said limit to the Pension Fund, as may be deemed necessary;

(3) In order to facilitate the transfer of the total amount of contribution to the Pension Fund, the Government shall make suitable budgetary provision under the Revenue Expenditure Head "2071 – Pension and other retirement benefit – 01 - Civil – 797-Transfer to/from Reserve Fund and Deposit Account- Pension Fund".

Management of the Fund.

7. (1) The Fund shall be administered and managed by the Fund Manager, the appointment of Fund Manager and guidelines for investment shall be governed by the rules, notified under this Act, to be approved by the Government.

(2) The Fund Manager shall maintain proper accounts and other relevant records of the Fund.

Utilization of the Fund.

8. (1) The Fund shall be used to meet the requirements of pension payments by the Government.

(2) In the event that the growth in pension payments exceeds twenty percent (20%) in any Financial Year, the excess over and above the twenty percent (20%) threshold may be met from the Pension Fund. The Government shall continue to fund upto twenty percent (20%) growth in pension payments from the

Consolidated Fund of the State.

(3) The Government may, if it considers necessary in any Financial Year, utilise an amount not exceeding ten percent (10%) of the annual returns on investments of the fund accrued in the immediately preceding financial year towards pension payments.

9. (1) The balance available in the Fund shall be invested in Government of India securities, Special Securities of Government of India, Treasury Bills, State Government Securities or other approved securities as per the procedure laid down for such investments, in the rules notified under this Act. **Investment of the Fund.**

(2) On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account or reinvested in accordance with the pattern outlined above based on instructions received from the Government.

(3) The Fund Manager shall arrange to redeem the securities on maturity. In case of premature disinvestments to meet the payments on account of the claims to be paid, the Fund Manager shall decide on the securities to be liquidated and sell the securities at the ruling price and credit the amount realized to the Government account.

(4) If these securities are in loss, the Fund Manager may, in consultation with the Government, decide on the securities to be liquidated.

10. (1) The Fund Manager shall monitor the growth in revenue and pension payments on an annual basis and report the findings to the Government. **Monitoring and Reporting.**

(2) Any excess growth in pension payments beyond twenty percent (20%) or percentage growth in pension higher than the percentage growth in revenue receipts shall be documented and the amount to be transferred from the Fund shall be specified.

(3) The Department shall prepare an annual report detailing the status of the Fund, including contributions, investments, utilization, and any additional provisions introduced. This report shall be submitted to the State Legislature and made publicly available.

Audit of the Fund.

11. The accounts of the Fund shall be audited annually by the Accountant General of the State in the normal course. The audit report shall be submitted to the State Legislature and made publicly available.

Power to make rules.

12. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules, regulating all matters connected with or ancillary to the custody of payment of money into, and the withdrawal of money from the Fund, for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made by the Government under this Act shall be laid before the State Legislature as soon as possible.

Savings.

13. The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme, the Government may, issue clarifications or make amendments in the rules.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.